न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 30 / 2023

श्री मथुरा लाल मीना निवासी ग्राम कुण्डिया पो0 खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 9.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को आवेदन पत्र दिनांक 1.07.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 श्रीमान जी भैरू लाल पुत्र स्व. किशन मीणा की खातेदारी भूमि खसरा न. 329 रकबा 0.46 है0 के पत्थरगढी की आदेश की सत्य प्रतिलिपि देने बाबत्।
2 भैरू लाल पुत्र स्व. श्री किशन मीणा खातेदारी भूमि का किस खसरा नं. का सीमाज्ञान कर दिया गया है किस के समक्ष सामने सीमाज्ञान किया गया है की सम्पूर्ण सत्य प्रति देने बाबत्।
3 यदि सीमाज्ञान करना खसरा नं. शेष होतो शेष रहे खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान जिस दिनांक किया जावे वह दिनांक वार देने की कृपा करे यह सीमाज्ञान करने का आवेदन रसीद 2.6.2016 राजस्व अभियान आदेश होने के बाद
4 श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब द्वारा किये गये पत्थरगढी सम्पूर्ण आदेश की सत्य प्रतिलिपियां।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को पत्र कमांक 786 दिनांक 16. 08.2023, 848 दिनांक 04.09.2023, 862 दिनांक 18.09.2023 व 889 दिनांक 4.10. 2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य

जिला कलेक्टर

सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक